सं0सं0– ICDS/25030/06-2021– 103

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(आई0सी0डी0एस0 निदेशालय)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 12.8.2025

विषयः– सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत राज्य में कुल 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर **Equipment** एवं **Furniture** मद के अन्तर्गत बर्त्तन सेट ई–खरीद के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराने एवं इसके निमित राशि रू0 115,00,90,000/– (एक सौ पन्द्रह करोड़ नब्बे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प सं0–5752 दिनांक–30.07.2025 के द्वारा सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत राज्य में कुल 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर Equipment एवं Furniture मद के अन्तर्गत प्रति आँगनबाड़ी केन्द्ररू0 10,000/–(दस हजार) की दर से बर्त्तन सेट ई–खरीद के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त के आलोक में सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने तथा कुपोषणता से बचाव करने हेतु गुणवत्तापूर्ण तरीके से पोषाहार उपलब्ध कराये जाने के निमित कुल 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर Equipment एवं Furniture मद के अन्तर्गत प्रति आँगनबाड़ी केन्द्ररू0 10,000/–(दस हजार) की दर से बर्त्तन सेट ई–खरीद के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराने **एवं इसके निमित राशि** रू0 115,00,90,000/–(एक सौ पन्द्रह करोड़ नब्बे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11/4/2021-CD-I (e-95706) दिनांक 01.08.2022 से निर्गत दिशा–निदेश में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर Equipment एवं Furniture मद में प्रति आँगनबाड़ी केन्द हेतु रू.10,000/–का दर निर्धारित है।

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक CD-II-14/1/2024-CD-II (e-112569) दिनांक 01.03.2024 एवं पत्रांक CD-II-14/2/2024-CD-II दिनांक 29.03.2024 से कुल 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर रू.10,000/– प्रति केन्द्र की दर से Equipment एवं Furniture उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं राशि प्राप्त है। जिसके व्यय के अनुपात का प्रतिशत केन्द्रांश 60% एवं राज्यांश 40% है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत केन्द्रांश विपत्र कोड–51–2235021020222 एवं राज्यांश विपत्र कोड–51–2235021020322, विषय शीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01), पी0एफ0एम0एस0 कोड–3975, मांग संख्या–51 के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उद्व्यय /बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा। वर्तमान में इस स्कीम हेतु राशि SNA खाता में उपलब्ध है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई0सी0डी0एस0 निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

7. आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक– 2561 दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–12888/वि. दिनांक–03.12.2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

9. उक्त प्रस्ताव दिनांक:29.07.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृत है।

10. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0–**ICDS/25030/06-2021**– के टिप्पणी पृ0–155 /टि0 पर दिनांक– 01.08.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0–**ICDS/25030/06-2021**– के टिप्पणी पृ0–155 /टि0 पर दिनांक– 06.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि. दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **ICDS/25030/06-2021**– 103 पटना, दिनांक– 12.8.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ संयुक्त सचिव (बजट शाखा), वित्त विभाग/संयुक्त सचिव (योजना एवं बजट शाखा), समाज कल्याण विभाग/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना /सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **ICDS/25030/06-2021**– 103 पटना, दिनांक– 12.8.2025

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **ICDS/25030/06-2021**– 103 पटना, दिनांक– 12.8.2025

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।